

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-06, नौएडा

पत्र संख्या: नौएडा/मु0वा0नि0/2024/1255
दिनांक: 30-5-2024

मै0 यूनिटेक लि0,
कारपोरेट ऑफिस, 8वां तल, टॉवर-बी,
सिग्नेचर टॉवर, साउथ सिटी-1,
गुरुग्राम-122007, हरियाणा।

विषय:- Approval of revised layout plans/building plans, in respect of Unitech Projects situated in Sector-96-97-98, Noida.

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-CMD/Unitech/2024/34 दिनांक 03.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा सैक्टर-96-97-98 के जमा कराये गये संशोधित ले-आउट प्लान/भवन मानचित्रों की स्वीकृति के संबंध में अनुरोध किया गया है।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि सिविल अपील संख्या-10856/2016 भूपेन्द्र सिंह बनाम मै0 यूनिटेक लि0 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 में निम्नवत् उल्लेख है:-

22. *At this stage, we are of the view that the industrial development authorities must proceed to issue all necessary sanctions and approvals in respect of the projects of Unitech over the leased lands. The grant of permissions and approvals can be bifurcated into two segments. The first segment, where the approvals and sanctions can brook no delay, relates to the leased lands where the projects have been launched. The sanctions must cover the entirety of each project comprising of the land use distribution and development as contemplated as part of the project. This is necessary because the homebuyers of the project are entitled to not only to their allotted units, but to all other ancillary amenities which are incidental to the use and enjoyment of the land which has been sold. The first segment, which we have referred to above, would cover both the existing homebuyers who have agreements with Unitech as well as the unsold inventories. The unsold inventories would enable the government appointed Board of Directors to realize funds for the purpose of construction. The Court is apprised of the fact that the amount which is due from the existing homebuyers ranges in the vicinity of Rs 3,200 crores and in respect of the unsold inventories, approximately, Rs 8,000 crores.*
23. *The second segment of the approvals would relate to the leased lands where the projects are yet to be launched. We are of the view that these approvals and sanctions can be taken up at a subsequent point of time.*
24. *At this stage, therefore, we direct that the industrial development authorities shall abide by the following directions:*
 - (i) *The industrial development authorities shall, on or before 31 May 2024, grant all sanctions and approvals for the revised layout plans, building plans and ancillary permissions, subject to the deposit of balance amount, if any, that is required on account of current scrutiny fees in terms of the order which was passed by this Court on 1 February 2023;*
 - (ii) *Direction (i) above shall cover all the projects which have been launched on the leased lands comprised in Sectors 96, 97, 98, 113 and 117, as the case may be; and*
 - (iii) *The sanctions and approvals shall be granted in accordance with the applicable building regulations and provisions of law.*



सैक्टर-96-97-98 प्राधिकरण द्वारा एक्सप्रेस सिटी विकसित किये जाने हेतु आवंटित किया गया था। भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 14,07,327.68 वर्ग मी. का आवंटन दिनांक 26.06.2006 को आवंटी संस्था के पक्ष में किया गया एवं पट्टा प्रलेख का निष्पादन दिनांक 28.12.2006 को किया गया। भूखण्ड का कब्जा प्रमाण पत्र दिनांक 29.12.2006 को प्रदान किया गया। ब्रोशर के प्राविधानों के अनुरूप भू-विन्यास मानचित्र की स्वीकृति दिनांक 29.08.2008 को प्रदान की गयी।

योजना के ब्रोशर एवं आवंटन की शर्त के अनुसार आवंटी संस्था को कुल आवंटित भूमि (14,07,327.68 वर्ग मी.) पर भू-उपयोग का निर्धारण निम्नानुसार किये जाने का प्राविधान है:-

क्र.सं.	भू-उपयोग	प्रतिशत	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)
1	संस्थागत	12 प्रतिशत (न्यूनतम)	1,68,879.38
2	क्रीडास्थल एवं खुले क्षेत्र	18 प्रतिशत (न्यूनतम)	2,53,318.81
3	रोड एवं पब्लिक पार्किंग	20 प्रतिशत (न्यूनतम)	2,81,455.65
4	आवासीय	50 प्रतिशत (न्यूनतम)	7,03,663.84
	कुल	100 प्रतिशत	14,07,327.68

साथ ही योजना के ब्रोशर की शर्त संख्या-1.1.2 के अनुसार विकासकर्ता भूखण्डीय विकास अथवा ग्रुप हाउसिंग अथवा दोनों प्रकार के विकास करने के लिए स्वतंत्र है एवं अधिकतम gross आवासीय घनत्व 250 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर निर्धारित किया गया है। भूखण्डों एवं अपार्टमेंट के क्षेत्रफल पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है।

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के प्रस्तर संख्या-22 के अनुपालन में प्रथम segment में प्राधिकरण द्वारा लीज की गयी भूमि पर आवंटी संस्था द्वारा लॉन्च किये गये प्रोजेक्ट्स को नौएडा भवन विनियमावली के प्राविधानों के अनुरूप स्वीकृति प्रदान की जानी है। सैक्टर-96-97-98 में प्रथम segment के अंतर्गत आवंटी संस्था द्वारा लॉन्च की गयी योजनाएँ निम्नवत् है:-

1. Amber
2. Burgundy
3. Willos-1 & 2

आवंटी संस्था द्वारा आवंटियों के संबंध में उपलब्ध करायी गयी बुकलेट के अध्ययन से उपरोक्त लॉन्च की गयी योजनाओं में होम बॉयर्स की संख्या निम्नवत् है:-

क्र.सं.	लॉन्च की गयी योजना का नाम	होम बॉयर्स की संख्या
1.	Amber	388
2.	Burgundy	250
3.	Willos-1 & 2	321
	Total	959

आवंटी संस्था द्वारा दिनांक 06.05.2024 को सैक्टर-96-97-98 (अम्बर, बरगन्डी) का संशोधित मानचित्र जमा कराया गया था। इस संशोधित मानचित्र में पूर्व में स्वीकृत 897 यूनिट्स के स्थान पर 818 यूनिट्स प्रस्तावित की गयी है। आवंटी संस्था द्वारा पूर्व स्वीकृत समस्त 14 टॉवर्स में निर्माण प्रारम्भ हो गया है। इन 14 टॉवर्स में 07 टॉवर्स ऐसे हैं, जिनके समस्त तलों का निर्माण पूर्ण हो गया है, 03 टॉवर 28वें तल तक निर्मित है तथा 04 टॉवर्स में फुटिंग तथा पाईलिंग का कार्य किया गया है।

संशोधित मानचित्र में मुख्यतः आवंटी संस्था द्वारा निम्नवत् संशोधन किये गये हैं:-

1. पूर्व में आवंटी संस्था द्वारा जोन-1 व जोन-2 हेतु 1,97,008.595 वर्ग मी0 एफ.ए.आर. स्वीकृत कराया गया था, जबकि संशोधित मानचित्र में जोन-1 व जोन-2 में कुल एफ.ए.आर. 2,29,625.11 वर्ग मी0 प्रस्तावित किया गया है। आवंटी संस्था द्वारा पूर्व स्वीकृत 14 टॉवर के स्थान पर 13 टॉवर प्रस्तावित किये गये हैं।
2. पूर्व स्वीकृत 897 यूनिट्स के स्थान पर वर्तमान में यूनिट्स की संख्या 818 है, जो कि पूर्व स्वीकृत यूनिट्स से 79 यूनिट्स कम है।
3. आवंटी संस्था द्वारा पूर्व स्वीकृत अम्बर परियोजना के अंतर्गत पूर्व स्वीकृत 07 टॉवर्स का पुनर्विधीकरण करने एवं बरगन्डी परियोजना के अंतर्गत पूर्व स्वीकृत 07 टॉवर्स का संशोधित कर 06 टॉवर्स के मानचित्र स्वीकृत कराने हेतु अनुरोध किया गया है।
4. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रस्तर-22 में निम्नवत् उल्लेख है:-

".....The grant of permissions and approvals can be bifurcated into two segments. The first segment, where the approvals and sanctions can brook no delay, relates to the leased lands where the projects have been launched. The sanctions must cover the entirety of each project comprising of the land use distribution and development as contemplated as part of the project."

5. आवंटी संस्था द्वारा जोन-1 व 2 (अम्बर, बरगन्डी) तथा विलोज की योजनाएँ लॉन्च की गयी हैं, अतः इन परियोजनाओं को first segment में लिया जा सकता है।
6. जोन-1 व 2 (अम्बर, बरगन्डी) तथा विलोज के अतिरिक्त पूर्व में कोई योजना लॉन्च नहीं की गयी है और न ही इस चरण के अंतर्गत आने वाली भूमि पर कोई मानचित्र स्वीकृत कराया गया है, अतः इस चरण के अंतर्गत आने वाली भूमि को मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के प्रस्तर संख्या-23 के अनुसार Second segment के अंतर्गत रखा जाना उचित होगा। प्रस्तर संख्या-23 निम्नवत् है:-

23. The second segment of the approvals would relate to the leased lands where the projects are yet to be launched. We are of the view that these approvals and sanctions can be taken up at a subsequent point of time.

7. मै0 यूनिटेक लि0 को 13,91,364.61 वर्ग मी0 भूमि का कब्जा प्रदान किया गया था। इस भूमि में से second segment के अंतर्गत आने वाली 7,28,180 वर्ग मी0 भूमि को घटाने के उपरान्त अवशेष भूमि का क्षेत्रफल 6,63,184.61 वर्ग मी0 है। इस भूमि पर मै0 यूनिटेक लि0 द्वारा गुप हाउसिंग हेतु आरक्षित क्षेत्रफल 1,59,770.00 वर्ग मी0 पर 2,29,625.11 वर्ग मी0 एफ.ए.आर. प्रस्तावित किया गया है, जो कि अनुमन्य एफ.ए.आर. की सीमा के अंतर्गत है।
8. मै0 यूनिटेक लि0 द्वारा 13,91,364.61 वर्ग मी0 भूमि पर 897 यूनिट्स प्रस्तावित की गयी थी, जिसमें प्रथम सेगमेंट के अंतर्गत आने वाली भूमि 6,63,184.61 वर्ग मी0 पर 818 यूनिट्स प्रस्तावित की गयी है, जो कि पूर्व में जोन-1 व 2 के अंतर्गत स्वीकृत की गयी 897 यूनिट्स से 79 यूनिट्स कम है। इस प्रकार प्रथम सेगमेंट के अंतर्गत आने वाली भूमि पर प्रस्तावित यूनिट्स अनुमन्य gross आवासीय घनत्व की सीमा के अंतर्गत है।
9. प्रथम सेगमेंट के अंतर्गत प्रस्तावित एफ.ए.आर. हेतु 2723 पार्किंग की आवश्यकता है। इस भूमि पर मै0 यूनिटेक लि0 द्वारा 2832 पार्किंग प्रस्तावित की गयी है। यह पार्किंग नौएडा भवन विनियमावली के अनुसार है।
10. स्थल पर 14 टॉवर्स का स्ट्रक्चर लम्बे समय से आधा-अधूरा निर्मित है। इन टॉवर्स पर शेष बचे कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाना आवश्यक है, ताकि भविष्य में होम बॉयर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
11. अम्बर तथा बरगन्डी योजनाओं के अतिरिक्त मै0 यूनिटेक लि0 द्वारा प्राधिकरण की अनुमति के बिना 2,83,745.61 वर्ग मी0 क्षेत्रफल पर भूखण्डीय विकास किया गया। भूखण्डीय विकास के अंतर्गत प्राधिकरण में जमा कराये गये मानचित्र में 383 आवासीय भूखण्ड प्रस्तावित किये गये थे। इन आवासीय भूखण्डों के अतिरिक्त संस्थागत सुविधाएँ प्रस्तावित की गयी थी, जो कि पुनरीक्षित मानचित्र में 383 आवासीय भूखण्ड एवं नर्सरी स्कूल, सैकेण्ड्री स्कूल, सोशल कल्चरल सैन्टर, फायर स्टेशन, इलैक्ट्रीक सब स्टेशन, यूटिलिटी, एस.टी.पी., आदि के अंतर्गत दर्शाये गये हैं। आवासीय भूखण्डों हेतु विलोज-01 व 02 के नाम से योजना लॉन्च की गयी। आवासीय भूखण्डों पर होमबॉयर्स की संख्या-321 है।
12. संशोधित मानचित्र में प्रथम सेगमेंट के अंतर्गत आने वाली भूमि पर आवासीय भूखण्डों की संख्या-383 है, जो कि होमबॉयर्स की संख्या से 62 अधिक है।
13. रिक्रियेशनल उपयोग के अंतर्गत मै0 यूनिटेक लि0 द्वारा स्थल पर गोल्फ कोर्स विकसित कर दिया गया है, जिसका क्षेत्रफल 2,19,670.00 वर्ग मी0 है।
14. प्राधिकरण के गुप हाउसिंग विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस सैक्टर में मै0 यूनिटेक लि0 को आवंटित भूमि पर देयताएँ रू0-7,747.84 करोड़ हैं। देयताओं में प्रीमियम, ब्याज तथा लीज रेन्ट सम्मिलित है। दिनांक 30.04.2024 तक की गयी उक्त गणना में समयवृद्धि शुल्क तथा 64.70 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि सम्मिलित नहीं है। प्राधिकरण बोर्ड के निर्णयानुसार संबंधित विभाग से अदेयता प्रमाण पत्र तथा समयवृद्धि शुल्क जमा किये जाने के उपरान्त ही मानचित्र स्वीकृत/संशोधित किया जाता है, लेकिन मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर

यह आदेश पारित किये गये हैं कि अवशेष धनराशि का निर्धारण मा0 न्यायालय द्वारा Appropriate time पर किया जायेगा। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 26.04.2024 के प्रस्तर-25 में इस संबंध में निम्नवत् आदेश पारित किया गया है:-

25. As clarified in the previous orders of this Court, the outstanding dues of the industrial development authorities shall be determined and quantified by this Court after hearing all the parties at an appropriate point of time.

15. मै0 यूनिटेक लि0 द्वारा संशोधित मानचित्र जमा कराया गया है। इस संशोधित मानचित्र हेतु अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर का सर्टिफिकेट, आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट, इलैक्ट्रीकल वाहन चार्जिंग के संबंध में शपथ पत्र, आदि जमा कराये जा चुके हैं।

तदनुसार प्रथम सेगमेंट के अंतर्गत अम्बर, बरगन्डी, विलोज-01 व 02, गोल्फ कोर्स, सड़कों, पार्को, सामुदायिक सुविधाओं, आदि के अंतर्गत आने वाली भूमि का क्षेत्रफल 6,63,184.61 वर्ग मी0 है।

आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) हेतु	-	1,59,770.00 वर्ग मी.
अनुमन्य भू-आच्छादन (30 प्रतिशत)	-	47,931.00 वर्ग मी0
पुनरीक्षित भू-आच्छादन क्षेत्रफल	-	14,723.97 वर्ग मी.
पुनरीक्षित एफ.ए.आर.	-	2,29,625.11 वर्ग मी.
अनुमन्य ऊँचाई	-	कोई सीमा नहीं
प्रस्तावित ऊँचाई	-	126.55 मी.
बी.पी. शुल्क की गणना		
ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल	-	1,59,770.00 वर्ग मी.
कुल पुनरीक्षित आच्छादित क्षेत्रफल (सेवा एवं तहखाना सहित)	-	3,29,066.02 वर्ग मी.
रिवैलिडेशन एरिया	-	2,50,144.575 वर्ग मी.
रिवैलिडेशन शुल्क@ रु. 40/-	-	2,50,144.575 x 40 = रु0-1,00,05,783.00 -(1)
प्रस्तावित एरिया	-	78,921.445 वर्ग मी.
कुल बी.पी. शुल्क@ रु. 30/-प्रति वर्गमी.	-	78,921.445 x 30 = रु0-23,67,643.35 -(2)
मलबा शुल्क@ रु.2/- प्रति वर्गमी.	-	78,921.445 x 2 = रु0-1,57,842.89 -(3)
ले-आउट शुल्क@ रु. 2/- (40,000 वर्गमी.)	-	40,000.00 x 2 = रु0-80,000.00 -(4)
ले-आउट शुल्क@ रु. 1/- (40,000 वर्गमी. से अधिक)	-	1,19,758.61 x 1 = रु0-1,19,758.61 -(5)
कुल देय शुल्क (1+2+3+4+5)	=	रु0-1,27,31,028.00

ले-आउट हेतु प्रोसेसिंग शुल्क:-

कुल क्षेत्रफल (ग्रुप हाउसिंग क्षेत्रफल को छोड़ते हुए)	=	5,03,414.61 वर्ग मी0
प्रोसेसिंग शुल्क @ रु0-1/- प्रति वर्ग मी0	=	रु0-5,03,415.00 -(6)
कुल प्रोसेसिंग शुल्क (1+2+3+4+5+6)	=	रु0-1,32,34,443.00

कुल देय राशि रु0-1,32,34,443.00 के सापेक्ष आवंटी संस्था द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर दिनांक 23.02.2023 को चालान संख्या-800238229 द्वारा रु0-52,77,479.00 जमा कराये गये हैं। अवशेष धनराशि रु0-79,56,964.00 प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी।

अतः मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 26.04.2024 के क्रम में सैक्टर-96-97-98 के प्रथम सेगमेंट के अंतर्गत निहित भूमि क्षेत्रफल 6,63,184.61 वर्ग मी0 पर संशोधित ले-आउट प्लान एवं अम्बर तथा बरगन्डी के भवन मानचित्र एवं स्वीकृति पत्र मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 28.05.2024 के क्रम में निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम पाँच वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।

2. ले-आऊट प्लान में दर्शाये गये मार्गों को मानकों के अनुरूप निर्मित करना होगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जाएगा।
4. यदि भविष्य में प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय माँगा जाएगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढाव (प्रोजेक्टेड) न हों।
6. कार्यदायी संस्था द्वारा बिजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
7. कार्यदायी संस्था द्वारा भवन सामग्री पॉकेट के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा तहखाना/पोडियम तथा अन्य सभी तलों का निर्माण कार्य स्वीकृत भवन मानचित्रों तथा नोएडा भवन नियमावली के प्रावधानों के अनुसार ही कराया जायेगा, अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माने जायेगे।
9. कार्यदायी संस्था द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था योजना के अन्तर्गत निर्मित एस०टी०पी० में करेंगे।
10. भवन मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त भवन मानचित्रों एवं पत्र को Scan कराकर अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शन करने हेतु अपलोड करना होगा।
11. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते कार्यदायी संस्था के पास पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुनर्जीवित करा लिया हो। पट्टे का अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
12. सन्दर्भित भवन के निर्माण हेतु भूजल की अनधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रश्नगत क्षेत्र की हाईड्रोलोजी के दृष्टिगत रेनवाटर हार्वेस्टिंग/भू-जल दोहन की व्यवस्था केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड अथवा उत्तर प्रदेश भू-जल विभाग के प्राविधानों के अन्तर्गत करना होगा।
13. सन्दर्भित भवन के निर्माण के लिए किसी भी दशा में भू-जल दोहन नहीं करेंगे तथा इसके लिए नोएडा प्राधिकरण/अन्य संस्था के एस०टी०पी० के परिष्कृत जल का उपयोग करेंगे।
14. सम्पूर्ण परिसर में विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन, भूकम्परोधी निर्माण एवं स्ट्रक्चरल सेफ्टी/स्टैबिलिटी, 30 मीटर से ऊँचे भवनों हेतु एयरपोर्ट ऑथोरिटी आदि के मानकों एवं सम्बन्धित विभागों की गाइड लाईन्स/मानकों/नियमों/शर्तों/शासनादेशों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्देशों का अनुपालन समस्त विकास कार्य एवं भवनों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास में किया जायेगा।
15. सभी भवनों आदि के निर्धारित उपयोग में नोएडा महायोजना 2031 के जोनिंग एवं सब डिवीजन रेगुलेशन तथा नोएडा भवन विनियमावली 2010 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) में अनुमन्य क्रियाये एवं उपयोग तथा उसके समर्थित उपयोग में अनुमन्य क्रियाये एवं उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति किसी भी दशा में नहीं होगी। यह प्रतिबन्ध मूल पट्टाधारक, उप पट्टाधारक, किरायेदार/उपयोगकर्ता आदि सभी पर लागू होगा।
16. योजना के पंजीकरण (ब्रोशर) एवं आवंटन पुस्तिका की शर्तों के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्वारा परियोजना के क्रियान्वित करने एवं परियोजना को पूर्ण कर क्रियाशील किए जाने तक सतत समीक्षा की जायेगी।
17. योजना के पंजीकरण (ब्रोशर) एवं आवंटन पुस्तिका एवं पट्टा प्रलेख की शर्तों एवं नियमों के अनुसार आवंटी संस्था को परियोजना पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत परियोजना पूर्ण करनी होगी।
18. सभी प्रकार के विकास कार्य अवस्थापना सुविधायें तथा भवनों का निर्माण कार्य समय-समय पर शासकीय नीति/निर्देशों, बी०आई०एस०/आई०एस० के लागू सुसंगत कोड एवं मानकों के अनुरूप किया जायेगा। तदुपरान्त आवेदन करने के साथ नियमानुसार उनका कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरान्त ही उपयोग में लाया जायेगा।
19. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शासन की नीति के अनुसार ऊर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग, जलापूर्ति वितरण व्यवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुनर्वितरण, वर्षा जल संचयन, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि खुदाई एवं उत्खनन, वृक्षारोपण/लैन्ड स्केपिंग एवं सामाजिक वानिकी, सीवेज डिस्पोजल एवं सॉल्लिड वेस्ट मैनेजमेन्ट आदि की व्यवस्था संबन्धित शासकीय विभागों की गाइड लाईन्स/मानकों/नियमों/ शर्तों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों के अनुसार करनी होगी।
20. सम्पूर्ण परिसर एवं उनके भीतर निर्मित सभी विकास कार्यों, सामुदायिक एवं जन सुविधाएँ अवस्थापना सुविधाएँ सभी स्ट्रक्चर्स, सभी प्रकार के भवनों आदि का गुणवत्ता के साथ विकास निर्माण, परिचालन, रख-रखाव, अनुसंधान आवेदक संस्था को स्वयं करना होगा। इस सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण एवं उ०प्र० शासन द्वारा समय-समय पर नीतिगत निर्णय एवं निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।



21. सम्पूर्ण परिसर के भीतर निर्मित परिसर/भवन/स्ट्रक्चर/सामुदायिक एवं जन सुविधाओं/उपयोग आधारित क्रियाओं आदि का उप विभाजन, सब लीज, सब लेटिंग आदि कार्यदायी संस्था द्वारा आवंटन नियमावली, पट्टा प्रलेख, नोएडा प्राधिकरण के नियमों व नीतियों, भवन विनियमावली 2010, नोएडा महायोजना 2031 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) के प्राविधानों के अन्तर्गत बिना प्राधिकरण के यथावश्यक पूर्वानुमति प्राप्त किए आवेदक द्वारा नहीं किया जाएगा।
22. परियोजना के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शारीरिक रूप से अक्षम एवं आशक्त व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधाएं एवं सुगम्यता के दृष्टिगत अवरोधमुक्त परिसर के रूप में विकास एवं निर्माण किया जायेगा।
23. परियोजना के समस्त भवनों का निर्माण आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य, अवस्थापना सुविधाएँ, जन सेवाएँ एवं सामुदायिक सुविधाएँ आदि का विकास पूर्ण करने पर आने वाला समस्त व्यय आवेदक को स्वयं वहन करना होगा, जिसमें देय समस्त शुल्क, चार्जज, टैक्स, लेवी आदि (यथा लागू) भी सम्मिलित है।
24. परिसर में प्रस्तावित हरित क्षेत्रफल एवं वृक्षों का रखरखाव गुणवत्तापूर्वक कार्यदायी संस्था को स्वयं अपने व्यय पर करना होगा।
25. यह स्वीकृति प्राधिकरण केवल प्रथम सेगमेंट के अंतर्गत आने वाली भूमि के क्षेत्रफल 2.26,612.78 वर्ग मी० के सापेक्ष ही अनुमत्य होगी।
26. प्रस्तावित मानचित्रों में दर्शायी गयी मापें/क्षेत्रफल तालिका में कोई भी बदलाव से पड़ने वाले प्रभाव के लिए कार्यदायी संस्था पूर्णतया स्वयं जिम्मेदार होगा।
27. प्रस्तावित योजना के निर्माण के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (Promotion of Construction) ownership & Maintenance) एक्ट 2010 (यथा संशोधित) एवं 2016 में उल्लिखित नियम व उपविधि तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
28. उ०प्र० रियल स्टेट रेग्युलेट्री एक्ट-2016, में उल्लिखित नियम व उपविधि तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। कार्यदायी संस्था द्वारा उल्लिखित शर्तों के अनुपालन नहीं किये जाने की दशा में यह भवन मानचित्र/पत्र स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
29. आवंटी संस्था नेशनल बिल्डिंग कोड (यथा संशोधित) NBC में उल्लेखित शर्तों का पालन करने हेतु बाध्य होगी। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर किये गये शपथ पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर एन.बी.सी.-2016 के प्राविधान लागू नहीं होंगे, बल्कि ऐसे स्थलों पर एन.बी.सी.-2005 के प्राविधान लागू होंगे।
30. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन करना होगा।
31. भवन के निर्माण के दौरान बाहर से आने वाली तथा स्थल पर रखी निर्माण सामग्री को ढक कर रखना होगा, जिससे आस पास के रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े तथा शहर में वायु प्रदूषण को रोका जा सके।
32. भवन स्वामी व अन्य के विजिटर्स हेतु कार पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही करानी सुनिश्चित करें। सड़क पर किसी भी प्रकार की पार्किंग न करें। उल्लंघन करने की दशा में आवंटी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
33. आवंटी संस्था को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की व्यवस्था पार्किंग परिसर के अन्दर करनी होगी।
34. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के भवन निर्माण हेतु जारी दिशा निर्देश, 2010 का पूर्णरूप से पालन करना होगा।
35. पर्यावरण विभाग/माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण/माननीय न्यायालय/उच्च न्यायालय/ सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों/विनियमों/निर्देशों/आदेशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन कार्यदायी संस्था/पट्टा धारक/उप पट्टा धारक पर बाध्यकारी होगा।
36. सन्दर्भित योजना के लिए इन्टरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए नियमानुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना होगा।
37. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ०ए० संख्या 21/2014 में अलग-अलग तिथियों में पारित आदेशों के अनुपालन के क्रम में मुख्य सचिव, कार्यालय उ०प्र० शासन के पत्रांक 1760/पी०एस०एम०एस०/2016 दिनांक 18.11.2016 तथा विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन के पत्रांक संख्या 3595/नौ-6-206-29 रिट/2014 दिनांक 08.11.2016 से जारी निर्देशों के अनुपालनार्थ निर्माण प्रक्रिया से जनित वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करना होगा:-
 - Every builder/owner shall put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building. No person including builder, owner can be permitted to store any construction material particularly sand on any part of the street, roads in any colony.
 - The construction material of any kind that is stored in the site will be fully covered in all respects so that it does not disperse in the air in any form.

- All the construction material and debris shall be carried in the trucks or other vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or the construction material does not get dispersed into the air or atmosphere, in any form whatsoever.
- The dust emissions from the construction site should be completely controlled and all precautions taken in that behalf.
- The vehicles carrying construction material and construction debris of any kind should be cleared before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.
- Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction material and construction debris shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particles.
- Every owner and/or builder shall be under obligation to provide all medical help, investigation and treatment to the workers involved in the construction of building and carry of construction material and debris relating to dust emission.
- It shall be the responsibility of every builder to transport construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place in accordance with rules and in terms of this order.
- All builders/owners should take appropriate measures and strictly comply with by fixing sprinklers and creations of green air barriers on construction site. Compulsory use of wet-jet in grinding and stone cutting.
- Wind breaking walls around construction site.
- All builders shall ensure that C&D waste is transported and disposed to the C&D waste site only and due record in that behalf shall be maintained by the builders and transporters.
- Use of covering sheets should be done for trucks to prevent dust dispersion from the trucks, implemented by district offices.
- Proponent shall ensure that periodical auto maintenance report from the contractor to avoid vehicular pollution.
- Proponent should manage transportation route for vehicles in a well-planned manner to avoid traffic havocs.
- The entry and exit points design is very important as it should not disturb the existing traffic.
- Inspection & Maintenance has definite utility on emission performance, Regular vehicle inspection to be done by the contractor to enhance the efficiency of work and to reduce the risk of unwarranted air pollution.
- Fitness certification is a statutory requirement for commercial vehicles and public transport vehicles. Periodicity for certification is once in a Year.
- Pollution Under Control (PUC) certificates are required to be obtained every three months for all categories of vehicles. In case of diesel vehicles, free acceleration smoke is measured.
- Life of vehicle should be inspected to avoid further air pollution.
- Overloading is another big challenge and the shall be dealt by the proponent as well as State Authorities by installing check booth at entry points.
- Viable emission control technologies exist to reduce diesel exhaust emissions designed to control particulate matter (PM) should be installed/used such as Diesel oxidation catalysts (DOCs), Diesel particulate filters (DPFs), Exhaust gas recirculation (EGR), Selective catalytic reduction (SCR), Lean Nox catalysts (LNCs), Lean Nox traps (LNTs).
- Green belt creation will also act as a mitigating factor.

विशेष शर्तें:-

1. प्रश्नगत स्वीकृति मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.04.2024 के अंतर्गत प्रदान की जा रही है।
2. स्थल पर निर्माण किये जाने से पूर्व राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA) से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर प्राधिकरण में प्रस्तुत करनी होगी।
3. आवंटी संस्था द्वारा बी.पी. शुल्क के मद में अवशेष धनराशि रू0-79,56,964.00 प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी।
4. प्रश्नगत स्वीकृति मै0 यूनिटेक लि0 द्वारा पूर्व में लॉन्च की गयी योजनाओं के लिए प्रदान की जा रही है। पूर्व में लॉन्च की गयी योजनाओं के ले-आउट प्लान में मै0 यूनिटेक लि0 द्वारा आंशिक संशोधन किया गया है, जिसके फलस्वरूप संशोधित मानचित्र में 818 फ्लैट्स तथा 383 भूखण्डों

हेतु स्वीकृति प्रदान की जा रही है। पूर्व में लॉन्च की गयी योजनाओं में होमबॉयर्स की संख्या 959 है, जिसमें से 178 होमबॉयर्स द्वारा रिफण्ड हेतु आवेदन किये गये होमबॉयर्स की संख्या घटाने पर अवशेष होमबॉयर्स की संख्या मात्र 781 है। अतः 818 फ्लैट्स तथा 383 भूखण्ड लॉन्च की गयी योजनाओं के होमबॉयर्स की आवश्यकता को पूर्ण कर देती है।

5. दिनांक 02.12.2009 में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किये गये मानचित्र के अनुसार कुछ टॉवर्स का आंशिक/पूर्ण स्ट्रक्चर निर्मित हो गया है, लेकिन लम्बे समय से रख-रखाव के अभाव में इन टॉवर्स की स्ट्रक्चरल सेपटी सुनिश्चित करने के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही अवशेष निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जायेंगे।
6. प्राधिकरण के ग्रुप हाउसिंग विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि सैक्टर-96-97-98 की आवंटित भूमि पर प्रीमियम, ब्याज तथा लीज रेन्ट के मद में दिनांक 30.04.2024 तक देयताएँ ₹0-7,447.84 करोड़ है। इन देयताओं में समयवृद्धि शुल्क तथा 64.70 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि सम्मिलित नहीं है। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा देयताओं के संबंध में दिनांक 26.04.2024 को पारित आदेश के प्रस्तर-25 में निम्नवत् उल्लेख किया गया है:-

25. *As clarified in the previous orders of this Court, the outstanding dues of the industrial development authorities shall be determined and quantified by this Court after hearing all the parties at an appropriate point of time.*

अतः मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय के क्रम में प्रथम सेगमेन्ट के अंतर्गत संशोधित ले-आउट तथा भवन मानचित्र इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जा रहा है कि मा0 न्यायालय द्वारा भविष्य में निर्धारित की जाने वाली धनराशि मै0 यूनिटेक लि0 द्वारा प्राधिकरण में जमा करायी जायेगी।

7. स्वीकृत मानचित्र में प्राधिकरण द्वारा प्रथम सेगमेन्ट तथा द्वितीय सेगमेन्ट को अलग-अलग रंगों से दिखा दिया गया है। जिस भूमि में अब तक कोई भी योजना लॉन्च नहीं की गयी है, उसे द्वितीय सेगमेन्ट के अंतर्गत दर्शाया गया है। द्वितीय सेगमेन्ट के अंतर्गत 7,28,180 वर्ग मी0 भूमि है। इस सेगमेन्ट के अंतर्गत आने वाली भूमि पर मै0 यूनिटेक लि0 द्वारा किसी भी प्रकार के निर्माण/विकास कार्य नहीं किये जायेंगे।
8. ले-आउट में दर्शाये गये समस्त विकास कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण करने की जिम्मेदारी मै0 यूनिटेक लि0 की होगी।

उपरोक्त स्वीकृति पत्र में उल्लेखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
उक्त स्वीकृति पत्र सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(देवेन्द्र निगम)
वरि0प्रबन्धक (म0प्र0)
नौएडा

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एस.पी.) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (वी.टी.) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
4. मुख्य विधिक सलाहकार महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
5. महाप्रबन्धक (नियोजन) को सादर सूचनार्थ।

वरि0प्रबन्धक (म0प्र0)
नौएडा